न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—38 / 2010 / 223 (2015 / 00011)

1. जगदीश नारायण पुत्र तुलसीराम (मृतक) जरिये वारिसानः—
1 / 1— लीलादेवी पत्नि जगदीश नारायण,
1 / 2— श्रीमती विजयरानी पुत्री जगदीश नारायण,
1 / 3— राजकमार पुत्र जगदीश नारायण,
1 / 4— सुनील कुमार पुत्र जगदीश नारायण,
1 / 5— ललिता देवी पुत्री जगदीश नारायण,
1 / 6— सरिता देवी पुत्री जगदीश नारायण,
1 / 7— श्रीमती पुष्पा देवी बेवा अजय कुमार पुत्रवधु जगदीशनारायण,
1 / 8— कु0 भूमिका पुत्री अजय कुमार पौत्री जगदीशनारायण,
1 / 9— मनीष पुत्र अजय कुमार पौत्र जगदीश नारायण,
कु0 भूमिका व मनीष नाबालिग वली माता श्रीमती पुष्पा देवी,
जाति जाटव, समस्त निवासी 949 / 32 बंद कुंए वाली गली, अलवर गेट, अजमेर ।

2. श्रीमती मिथलेस पत्नि सुनील कुमार, जाति जाटव, नि0 नई बस्ती अलवर अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. ईश्वर प्रसाद पुत्र नत्थुलाल, जाति कोली, नि0 गुजरवास, रामगंज, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

2. शिवराज पुत्र चन्दर,
3. गणपति पुत्री चन्दर,
4. कमला पुत्री चन्दर,
समस्त जाति रेगर, निवासी खानपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 22.2.2010 अंतर्गत प्रकरण संख्या 48 / 2006 .

उपस्थितः—

1. श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मोहम्मद इकबाल, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री रामसुख चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4.

निर्णय

दिनांकः— 28.01.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.2.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी / रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 188

राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बडगांव में स्थित खाता संख्या 46 नया 47 पुराने के खसरा संख्या 45 का रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांसी चाही–1, खसरा संख्या 69 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी चाही–1 व खसरा संख्या 70 मिन रकबा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी बा–3, खसरा संख्या 73 रकबा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी चाही–1, खसरा संख्या 75 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांसी चाही–1, खसरा संख्या 78 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी चाही कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा स्थित है जो स्व0 चन्दर पुत्र रामपाल रेगर सेवलिया, नि0 खानपुरा के खातेदारी की भूमि थी जिसके साथ चाह खसरा संख्या 74 के रकबे 1/2 हिस्सा आपपाशी के लिये खातेदार जिसकी मृत्यु के उपरांत उसके वारिसान ने फौती विरासत अपने नाम दर्ज करवा ली लेकिन वादी के पक्ष में स्व0 चन्दर ने वसीयतनामा दिनांक 4.2.1997 को निष्पादित किया जिसके आधार पर घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.2.2010 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है जिसमें भूमि धारक राजस्थान सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो कि विधि के बाध्यकारी प्रावधानों के तहत पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था जिससे वाद को पक्षकारों के कुसंयोजन के अभाव में निरस्त किया जाना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने इस प्रावधान को नजरअंदाज कर वादी का वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर तनकी संख्या 1 के संबंध मे कथन किया था कि पूर्व खातेदार चन्दर से वादी का कोई रक्त संबंध नहीं होने से कथित वसीयत के गवाहों को साक्ष्य में लेकर वसीयत को साबित कराया जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया । विधि के बाध्यकारी प्रावधानों के तहत वसीयत में वसीयतकर्ता किसी भी प्रकार की कोई प्रतिफल राशि प्राप्त नहीं कर सकता है अन्यथा वह वसीयत नहीं मानी जावेगी और उक्त कथित वसीयत को वादी ने प्रतिफल राशि देकर वसीयतकर्ता से अपने पक्ष में निष्पादित करवाया है जो स्वंय वादी ने अपने बयानों में स्वीकार किया है जिससे वादी का वाद वसीयत के आधार पर डिक्री किया जाना न्यायोचित नहीं था क्योंकि कथित वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित बेचान का एक भाग रहा है जो वास्तव में वसीयत नहीं है जिससे भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने पक्ष में निष्पादित वसीयत को सिद्ध नहीं किया तथा स्वंय के बयान भी विरोधाभाषी है । रेस्पो0 संख्या 2 से 4 जो कि वाद में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 थे, जिन्होंने वादी से दुरभि संधि की है जो रिकार्ड से साबित है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 में अपने जवाबदावे के साथ दीवानी न्यायालय के द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेश की प्रति पेश की थी जिससे भी तनकी संख्या 2 पर कोई निर्णय पारित किया जाना न्याय विरूद्ध था इसके उपरांत भी अधी0न्याया0 ने त्रुटिपूर्ण रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन

किया कि तनकी संख्या 3 का निर्णय केवल मात्र अपीलांट के पक्ष में इकरारनामे का विवेचन करते हएु गलत रूप से पारित कर दिया जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से साबित है कि अपीलांट के पक्ष में निष्पादित इकरारनामे के आधार पर दीवानी न्यायालय में विशिष्ट अनुतोष अधि0 के तहत वाद विचाराधीन है जिसमें वादग्रस्त आराजी व पक्षकार समान है तथा स्थगन आदेश से रेस्पो0 पाबंद है ऐसी स्थिति में दीवानी वाद के निर्णय तक उक्त वाद में कार्यवाही स्थगित रखा जाना आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया. ने इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.2.2010 को निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । खातेदार चन्दर ने रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में वसीयत निष्पादित की है जिसे अपीलांटस द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर अन्यथा साबित नहीं कराया गया है। विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अपीलांटस ने इकरारनामे के आधार पर अधी0न्याया0 को चुनौती दी है किन्तु इकरारनामा के आधार पर अपीलांटस को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इसका निर्णय तो सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद में बाद साक्ष्य तय होगा किन्तु वर्तमान में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में वसीयत प्रभावी है जिसकी ताईद चन्दर के वारिसान ने भी की है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों को विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 1 व 3 परस्पर संबंधित होने से तनकी संख्या 1 व 3 पर पारित निर्णय का अवलोकन किया गया । रेस्पो0संख्या 1/वादी के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष खातेदार चन्दर की वसीयत दिनांक 4.2.1997 के आधार पर घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया गया तथा उक्त वाद में चन्दर के वारिसान को भी बतौर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज पुत्र चन्दर द्वारा वादी के वाद का जवाबदावा दिनांक 21.4.2006 को प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया गया तथा वादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 14.2.1997 से इंकार नहीं किया । वसीयत के संबंध में उज्र एवं ऐतराज करने का अधिकार चन्दर के वारिसान को था । अपीलांट द्वारा चन्दर पुत्र रामपाल जाति रेगर द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 4.2.1997 को सक्षम न्यायालय के समक्ष कोई चुनौती नहीं दी गई है यहां तक की जवाबदावे में भी कोई काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है । अपीलांट द्वारा इस अपील में यह कथन किया गया है कि चन्दर के वारिसान द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 18.10.2003 को अपीलाधीन भूमि बेचने का इकरारनामा किया गया है तथा इस इकरारनामे के आधार पर अपीलांट द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष लाजमी बैनामा करवाये जाने के संदर्भ में वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मात्र इकरारनामे के आधार पर भूमि पर किसी भी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं माना जा सकता है । अपीलांटस का यह कथन कि तथाकथित वाद में स्थगन आदेश पारित होने से अधी0न्याया0 को वाद में कार्यवाही स्थगित रखनी चाहिये थी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधी0न्याया0 के विरूद्ध हस्तगत वाद की कार्यवाही को सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगित नहीं

किया गया था । जहां तक अपीलांटस का यह कथन कि वादी ने भूमिधारक तहसीलदार को पक्षकार नहीं बनाया है इस संबंध में रेस्पो0 वादी अधिवक्ता का कथन है कि भूमि सरकारी नहीं होने से भूमिधारक आवश्यक पक्षकार नहीं है । हम वकील रेस्पो0 संख्या 1 के इस कथन से सहमत है कि हस्तगत प्रकरण में भूमि स्वीकृत रूप से चन्दर की खातेदारी में दर्ज थी एवं चन्दर द्वारा रेस्पो0 संख्या 1/वादी के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई है ऐसी स्थिति में विवादित भूमि सरकारी होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है इस कारण राज0सरकार जरिये तहसीलदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 1 व 3 पर पारित निर्णय उपरोक्त विवेचन के आधार पर विधिसंगत पाया जाता है।

7. जहां तक तनकी संख्या 2 का प्रश्न है वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में तनकी संख्या 1 व 3 का निर्णय किया गया है तथा अपीलांटस द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया कि अपीलाधीन भूमि रेस्पो0/वादी के कब्जे काश्त में नहीं हो तथा अधी0न्याया0 द्वारा गलत तौर से तनकी संख्या 2 का निर्णय वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में किया गया हो । चूंकि वादी के पक्ष में खातेदार चन्दर द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर तनकी संख्या 1 का निर्णय अनुसार वादी अपीलाधीन भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी पाये जाने से उसके विधिक अधिकारों एवं उपयोग उपभोग से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर वंचित नहीं किया जा सकता है । अपीलांटस के अधिकार अभी सक्षम न्यायालय द्वारा तय होने है । अतः तनकी संख्या 3 का निर्णय वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है ।

8. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.2.2010 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 28.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर